अनुबंध

भाग ए

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए दिशानिर्देश

1. ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 प्रतिभूतीकरण के लिए पात्र आस्तियां

किसी एकल प्रतिभूतीकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों को बाध्यताधारियों के किसी समरूप समूह[1] की ऋण बाध्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस शर्त के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर तुलन पत्र में शामिल सभी मानक आस्तियां[2] प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी :

(i) चक्रीय ऋण सुविधा (उदाहरण के लिए नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
(ii) अन्य संस्थाओं से खरीदी गयी आस्तियां
(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए बंधक समर्थित/आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां)
(iv) मूलधन और ब्याज दोनो की बुलेट चुकौती वाले ऋण[3]

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

1.2.1 ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण तभी कर सकते हैं जब उनकी बहियों में वे न्यूनतम अवधि तक हों । आस्तियों की न्यूनतम धारण अवधि को निर्धारित करने वाले मानदंड, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि -

- परियोजना कार्यान्वयन जोखिम निवेशकों को अंतरित नहीं किया जाता है और ;
- प्रतिभूतीकरण के पहले न्यूनतम सुधार कार्य निष्पादन दर्शाया जाता है ।

1.2.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद ही कर सकती हैं, जिसकी गिनती किसी गतिविधि/प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख, उधारकर्ता द्वारा आस्ति (अर्थात् कार, आवासीय भवन आदि) के अभिग्रहण अथवा परियोजना पूर्ण होने की तारीख, जो भी लागू हो, से की जाएगी । न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की परिभाषा प्रतिभूतीकरण के पूर्व चुकाये गये किस्तों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी । अवधि और चुकौती की

---

[1] एकल आस्ति प्रतिभूतीकरण में ऋण को श्रृंखलाओं में विभाजित नहीं किया जाता है और न जोखिम का पुनर्वितरण होता है। अत:, उसे प्रतिभूतीकरण के आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं माना जाता है।

[2] इन दिशानिर्देशों में ऋण/आस्ति शब्द का अभिप्राय ऋण, अग्रिम और बांडों से है, जो अग्रिम की प्रकृति के हैं ।

[3] 12 महीने की अवधि तक की व्यापार प्राप्य राशियाँ जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने उधारकर्ताओं से डिस्काउंट किया/खरीदा है, प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी । तथापि, केवल वही ऋण/प्राप्य राशियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी जहां बिल के अदाकर्ता ने पिछले दो ऋणों/प्राप्य राशियों को नियत दिन के 180 दिन के भीतर पूरी रकम चुका दी है ।

बारंबारता के आधार पर विभिन्न ऋणों पर लागू न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)नीचे सारणी में दी जा रही है [4]

न्यूनतम धारण अवधि

	प्रतिभूतीकरण के पहले अदा किये गये किस्तों की न्यूनतम संख्या			
	चुकौती की बारंबारता - साप्ताहिक	**चुकौती की बारंबारता - पाक्षिक**	**चुकौती की बारंबारता - मासिक**	**चुकौती की बारंबारता - तिमाही**
2 वर्षों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	बारह	छह	तीन	दो
2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	अठारह	नौ	छह	तीन
5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	-	-	बारह	चार

1.2.3 प्रतिभूतीकृत ऋणों के समूह में अलग-अलग ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)लागू होगी। पैरा 1.1 के फुटनोट 3 में उल्लिखित ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि नहीं लागू होगी।

1.3 <u>न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर)</u>

1.3.1 एमआरआर की परिकल्पना इसलिए की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में निरंतर रुचि बनी रहे ताकि वे प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में समुचित सावधानी बरतें। दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एमआरआर में ईक्विटी/अधीनस्थ अंश के अलावा प्रतिकृत पेपर का वर्टिकल अंश भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रुचि /हित हो। ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण का प्रतिभूतीकरण करते समय नीचे दी गयी सारणी में वर्णित एमआरआर का पालन करना चाहिए। ऋणों का प्रतिभूतीकरण करते समय ओरिनिजेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्न सारणी में दिए गए ब्योरेवार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

[4] जहां चुकौती तिमाही से अधिक अंतराल पर हो, वहां कम-से-कम दो किस्तों की चुकौती के बाद ऋणों का प्रतिभूतीकरण किया जा सकता है।

प्रतिभूतीकरण के समय न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताएं

ऋण का प्रकार	एमआरआर	एमआरआर का ब्योरा		
24 माह या कम अवधि की मूल परिपक्वता के लिए ऋण	प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 5%	i)	जहाँ प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतीकरण में न ऋण ट्रेंचिंग शामिल है और न ही प्रथम हानि साख संवर्धन ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 5% के बराबर विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा जारी ।
		ii)	जहां प्रतिभूतीकरण में कोई ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु ओरिजिनेटर ने प्रथम हानि साख संवर्धन उपलब्ध कराया है जैसे तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक उपलब्ध करेगा। यदि प्रथम ऋण साख संवर्धन 5% से कम आवश्यक है तो शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन नहीं हैं।	शेयर श्रृंखला में 5% यदि शेयर श्रृंखला में 5% से कम है तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर होगी।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्रेतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल है ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तो शेष शेयर श्रृंखला में । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन और शेयर श्रंत्रखला में 5% से कम हो, तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर ।

24 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न कोई प्रथम हानि साख संवर्धन ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 10% के बराबर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश	
		ii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल है उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वह 10% से कम हो तो, शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में।		
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल नहीं हैं।	5% शेयर श्रृंखला में या कम यदि शेयर श्रृंखला 5% से कम हो। शेष (10% में से शेयर श्रृंखला में निवेश घटाकर) एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखला के सममात्रा में ।		
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और साथ साथ प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.) शामिल है ।	i)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से अधिक हो किंतु 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी शेयर श्रृंखला सहित प्रतिभूतियों में सममात्रा पर ।
				ii)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तब शेयर श्रृंखला में ताकि प्रथम हानि और

					शेयर श्रृंखला 5% के बराबर होगी। एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखलाओं में शेष प्रतिधारण सममात्रा में होगा (शेयर श्रृंखला छोडकर) ताकि कुल प्रतिधारण 10% हो।
पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 3 में उल्लेख किए गए एक बारगी चुकौती ऋण/ प्राप्य	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%.	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न प्रवर्तक द्वारा कोई प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल हो ।		प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10% के बराबर. एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ।
		ii)	प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध होने वाला प्रथम हानि साख संवर्धन उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि शामिल हैं ।		प्रवर्तक द्वारा आवश्यक साख संवर्धन उपलब्ध कराई जाए । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन की आवश्यकता 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा ।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल हो किंतु प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल न हो ।		10% शेयर श्रृंखला में । यदि शेयर श्रृंखला 10% से कम हो, तब शेष बची हुई श्रृंखला में सममात्रा में होगा ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि		यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 10% से कम है, तब शेष शेयर श्रृंखला में।

			साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर आधार, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल हैं ।	यदि शेष शेयर श्रृंखला से बडा है, तब अन्य श्रृंखलाओं में बचा हुआ सममात्रा पर होगा ।

1.3.2 ऋण का प्रतिभूतीकरण करने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा। दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा नहीं रखा जा सकता।

1.3.3 एमआरआर को प्रमुख नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अतः अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/फ्युचर भावी आय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवेश, वह अधीनस्थ हो या नहीं, एमआरआर के लिए गिना नहीं जाएगा।

1.3.4 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.5 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

1.4.1 वर्तमान में, हामीदारी के माध्यम से या अन्य प्रवर्तक द्वारा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश माध्यमों से कुल निवेश की सीमा कुल प्रतिभूतीकृत जारी लिखतों का 20% हैं । यह निर्णय लिया गया है कि निम्न प्रकार के प्रतिभूतीकृत ऋणों में बाक का कुल एक्सपोजर कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एसपीवी द्वारा जारी शेयर /प्रतिभूतियों की अधीनस्थ /वरिष्ठ श्रृंखला में हामीदारी प्रतिबद्धता के माध्यम सहित निवेश।
- नकदी और अन्य प्रकार की संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण सहित, साख संवर्धन, किंतु साख संवर्धन करने वाले इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को छोड़कर।
- चलनिधि समर्थन।

1.4.2 यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उल्लिखित सीमा का उल्लंघन करती है, तो अतिरिक्त राशि पर 667%[5] जोखिम भारित होगा।

[5] गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा 15% है। अत: जोखिम भार की सीमा 667 प्रतिशत रखी गयी है ताकि पूंजी भार एक्सपोज़र मूल्य से अधिक न हो।

1.4.3 यदि जारी किए गए प्रतिभूतीकरण लिखतों के ऋण परिशोधन के कारण सीमा का उल्लंघन होता है तो एक्सपोज़र पर 20% की सीमा का उल्लंधन नहीं माना जाएगा।

1.5 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.5.1 01 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 के पैरा 20.1 के अनुसार, एसपीवी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ऋणों के प्रतिभूतीकरण के कारण कोई लाभ /प्रीमियम का उदय होता है तो उसे एसपीवी द्वारा जारी की जानेवाली या जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल पर परिशोधित किया जाना चाहिए। यह दिशानेर्देश, अन्य बातों के साथ, 'ओरिजनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' मोडेल को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। अब कुछ हद तक इन चिंताओं का निवारण इन दिशानिदेशों में प्रस्तावित एमआरआर, एमएचपी और अन्य उपायों द्वारा किये जाने की अपेक्षा है । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि मूल धन के परिशोधन और घटित हानि के साथ साथ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरर्स पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान के आधार पर वर्ष के दौरान उच्चतर नकदी लाभ की अनुमति दी जाय।
नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है ।प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः
परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}
एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि
वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि
ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन
एल = हानि[6] (मार्क टू मार्केट मूल्य में अंकित करके निवेश खाते पर हुई हानि + विशिष्ट प्रतिभूतीकरण लेन देन के एक्सपोजर के लिए किया गया, विशिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो + सीधे बट्टे खाते डाले गए) साख संवर्धक 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप'[7] पर हुई हानि को छोडकर।

एन = प्रतिभूतीकरण लेन देन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.5.2 उपर्युक्त लाभ की परिशोधन पद्धति बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है। तथापि, इस परिपत्र को जारी करने की तारीख को केवल अपरिशोधित बकाया मूल धन और बकाया परिशोधन योग्य लाभ के संबंध में ही यह पद्धति लागू की जा सकती है।

---

[6] हानि, जिसमें बाजार दर पर मूल्यांकन के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हुई हानि शामिल है, विनिर्दिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो, एमआरआर में किया जाने वाला कोई सीधा राइट ऑफ या प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति कोई अन्य एक्सपोजर (साख संवर्धन आई/ओ स्ट्रिप को छोड़कर) लाभ और हानि खाते में नामे किया जाना चाहिए । तथापि परिशोधन फार्मूला यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ और हानि खाते में किया गया नामे उस सीमा तक ऑफ-सेट किया जाता है जिस सीमा तक "ऋण अंतरण लेनदेनों की पहचान तक लंबित नकद लाभ खाता में शेष राशि है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस खाते की शेष राशि को हिसाब में लिये बिना भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी रखनी चाहिए ।

[7] साख संवर्धक आई/ओ स्ट्रिप के संबंध में हानि के लेखांकन के लिए कृपया पैरा 1.5.3 देखें ।

1.5.3 कभी-कभी, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतरित आस्तियों पर प्राप्य ब्याज की कुछ राशि प्राप्त करने के लिए संविदागत अधिकार रख लेती हैं । यह प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्य ब्याज एसपीवी की देनदारी हैं और उसके वर्तमान मूल्य का पूंजीकरण प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (आई/ओ स्ट्रिप) के रूप में किया जाता है, जो तुलन पत्र की आस्ति हैं। सामान्यतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अप्राप्त लाभ को अपने लाभ हानि खाते में भविष्य में प्राप्य ब्याज के पूंजीकरण के रूप में आई/ओ स्ट्रिप के माध्यम से निर्धारित करती हैं। तथापि, उपर्युक्त 01 फरवरी 2006 के परिपत्र में निहित निदेशों के संदर्भ में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाभ हानि खाते में अप्राप्य लाभों को स्थान नहीं देना चाहिए, उसके बदले उन्हें अप्राप्य लाभ को ऋण अंतरण लेनदेनों के अप्राप्य लाभ" लेखा शीर्ष के तहत धारण करना चाहिए। इस खाते के शेष को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए साख संवर्धन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण आई/ओ स्ट्रिप पर होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान के रूप में माना जाएगा।[8] जब इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को नकद में पुनःप्राप्त किया जाएगा तब ही लाभ को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आई/ओ स्ट्रिप के रूप में होने वाली बिक्री पर लाभ को सुरक्षित (बुक) नहीं करेंगी, उससे टीयर –I पूंजी से घटाने की भी आवश्यकता नहीं है । इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप लेखा पद्धति प्रतिभूतीकरण के बकाया लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है ।

1.6 प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्रकटीकरण

16.1 संगठन/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट द्वारा किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर के संबंध में प्रकटीकरण करना चाहिए। प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित निवेशकों को ऋण श्रेणी और निजी अंतर्निहित जोखिम, नकदी प्रवाह और प्रतिभूतिकरण जोखिम का संपार्श्विक आधार के साथ साथ ऐसी जानकारी जो व्यापक और नकदी प्रवाह पर दबाव परख की पूरी जानकारी और संपार्श्विक मूल्य जो अंतर्निहित जोखिम को आधार देती हैं। प्रवर्तक द्वारा एमएचपी और एमआरआर के प्रति पूर्ण संतुष्टि के संबंध में प्रकटीकरण जनता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और उचित रूप से दस्तावेज बनाना चाहिए; जैसे विवरण-पत्र में प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिधारण प्रतिबद्धताओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को उचित समझा जाएगा। प्रकटीकरण व्यवहार के शुरुआत में होना चाहिए, और उसकी कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर पुष्टि होनी चाहिए (सितंबर और मार्च – समाप्ति पर), और किसी भी

[8] आई/ओ स्ट्रिप परिशोधन करने वाली या परिशोधन न करने वाली हो सकती है । परिशोधन करने वाली आई/ओ स्ट्रिप के मामले में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आई/ओ स्ट्रिप द्वारा हानि आत्मसात करने के बाद बची राशि को नकद के रूप में प्राप्त करेंगी। यह राशि प्राप्त होने पर उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा और देय परिशोधन के बराबर की राशि "ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते में राइट-ऑफ किया जा सकता है, जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में आई/ओ स्ट्रिप का बही मूल्य घट जाएगा । परिशोधन नहीं करने वाली आई/ओ स्ट्रिप के मामले में, जब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सूचना मिलती है कि एलपीवी ने आई/ओ स्ट्रिप से हानि नामे किया है तो वह 'ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ' खाते में से बराबर राशि राइट-ऑफ करेगी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में आई/ओ स्ट्रिप का मूल्य कम करेगी। आई/ओ स्ट्रिप के अंतिम मोचन के रूप में प्राप्त नकद राशि लाभ और हानि खाते में ली जाए ।

समय जहाँ आवश्यकता का भंग किया गया हैं। उल्लिखित आवधिक प्रकटीकरण हर प्रतिभूतिकरण व्यवहार के लिए अलग से करना होगा, उसकी सक्रियता के दौरान, संस्था के रिपोर्ट में, निवेशक रिपोर्ट, न्यास रिपोर्ट या अन्य तत्सम प्रकाशित कागज़ात में। उल्लिखित प्रकटीकरण परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मेट में भी कर सकते हैं।

16.2 वार्षिक लेखा में किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वार्षिक लेखा की टिपण्णी में एसपीवी बहीयों के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि का और एमआरआर के अनुपालन के लिए तुलनपत्र की तारीख को एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह आंकडें एसपीवी से प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए हो और एसपीवी के लेखा परीक्षको द्वारा उचित रूप से प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। यह प्रकटीकरण परिशिष्ट 2 में दिए गए फार्मेट में किया जाना चाहिए।

1.7 ऋण उत्पत्ति मानक

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले एक्स्पोजर की ऋण हामीदारी पर उसी प्रकार की ठोस और स्पष्ट परिभाषित मानदण्डों को लागू करना चाहिए जैसा कि वे अपनी बहियों में धारण किये जाने वाली एक्सपोज़रों पर करते हैं । इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों द्वारा ऋणों के अनुमोदन की तथा जहां लागू हो वहां संशोधन, समीक्षा और निगरानी की वही प्रक्रिया लागू की जानी जाहिए।

1.8 ऊपर निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली प्रतिभूतीकृत आस्तियों के संबंध में ट्रीटमेंट

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो इस पैरा में निहित सभी दिशानिर्देश केवल नए लेन देन पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.7 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में चूक करती हैं, तो प्रतिभूतिकृत आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया ही नहीं था यह मानकर उनके लिए पूंजी बनाई रखनी होगी। यह पूंजी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र के लिए आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त होगी ।

2. प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र वाली प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.1.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल उस स्थिति में किसी प्रतिभूतीकरण स्थिति में निवेश कर सकती है या एक्सपोजर ले सकती है जब प्रवर्तक (अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /एफआए/एनबीएफसी) ने स्पष्टतया ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रकटीकरण किया हो कि उसने इन दिशानिर्देशों में निहित एमआरआर और एमएचपी का पालन और अविरत आधार पर एमआरआर दिशानिदेशों का पालन करते रहेगा ।

2.1.2 निवेश करने के पूर्व और उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रत्येक प्रतिभूतीकरण स्थिति के लिए यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि प्रतिभूतीकृत स्थितियों में उनके प्रस्तावित/मौजूदा निवेशों की उन्हें पूरी समझ है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का

मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करने के लिए आधिकारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है :

ए) प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के एमआरआर के संबंध में प्रकट की गयी सूचना, कम-से-कम अर्धवार्षिक आधार पर ।

बी) निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की प्रतिभूतीकरण स्थिति के कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली, अलग-अलग प्रतिभूतीकरण स्थिति की जोखिम संबंधी विशेषताएं जिनमें प्रतिभूतीकरण की समस्त संरचनात्मक विशेषताएं शामिल हैं (अर्थात् श्रृंखला की वरिष्ठता, अधीनस्थ श्रृंखलाओं का परिमाण, समय पूर्व भुगतान जोखिम और साख संवर्धन पुनर्निर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चुकौती 'वाटर-फाल' की संरचना, 'वाटर-फाल' संबंधी प्रेरक तत्व, श्रृंखलाओं की समयबद्ध चुकौती में श्रृंखला की स्थिति (समय-श्रृंखला), चलनिधि संवर्धन, चलनिधि सुविधाओं के मामले में साख संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डी-स्पेसिफिक परिभाषा, आदि) ।

सी) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

डी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के प्रतिभूतीकरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा प्रतिभूतीकरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

ई) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में प्रवर्तकों का पूर्व प्रतिभूतीकरण में हानि का अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

एफ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर तथा जहां लागू हो प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

जी) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.1.3 जब बाद में प्रतिभूतीकृत लिखत द्वितीयक बाजार में किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खरीद ली जाती हैं तो उस समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी स्थिति रखेंगी जिससे एमआरआर की पूर्ति होगी।

2.2 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आम स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समयपूर्व भुगतान, साख संवर्धकों की रेटिंग में गिरावट के कारण प्रतिभूतियों (आस्ति समर्थित/बंधक समर्थित प्रतिभूति) के बाजार मूल्य में गिरावट तथा प्रतिभूतियों की तरलता के अभाव के कारण उच्चतर विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन ।

2.3 ऋण निगरानी

यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी प्रतिभूतीकरण स्थिति में अंतर्निहित एक्सपोजर के कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में प्रतिभूतीकरण लेनदेन के अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिरवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, जो पैरा 2.1.2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतीकृत पोजीशन में उनके एक्सपोजर की जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो । जहां प्रासंगिक हो, वहां इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध I में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकती हैं ।

2.4 ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले एक्सपोजर का ट्रीटमेंट

ऊपर पैरा 2.1 से 2.3 तक दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को निवेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार देंगे । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पैरा 2.1 से2.3 तक निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए गहन प्रयास करना चाहिए । 667% का उच्चतर जोखिम् भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 30 सितंबर 2012 से पहले पैरा 2.1 से 2.3 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ।

भाग - बी

सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

1. प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 अंतरण के लिए पात्र आस्तियां[9]

1.1.1 इन दिशानिर्देशों के तहत, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एकल मानक आस्तियों का या ऐसी आस्तियों के भाग का या ऐसी आस्तियों के पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थाओं को, निम्न अपवादों के साथ समुदेशन (असाइनमेंट) विलेख के माध्यम से, अंतरण कर सकती है ।

i) परिक्रामी उधार सुविधाएं (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
ii) अन्य सस्थाओं से खरीदी गई आस्तियां
iii) मूलधन और ब्याज की एकबारगी चुकौती वाली आस्तियां [10]

1.1.2 तथापि, यह दिशानिर्देश इन पर लागू नहीं होंगे :

i) उधारकर्ता के ऋण खातों को उधारकर्ता के अनुरोध/पहल पर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा अन्य बैंक/एफआई/ एनबीएफसी के बीच अंतरण
ii) बांड में लेनदेन
iii) पोर्टफालियो की बिक्री व्यवसाय से पूरी तरह बाहर निकालने के निर्णय के फलस्वरूप ऐसे निर्णय को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति होनी चाहिए ।
iv) सहायता संघ और समूहन व्यवस्थाएं
v) अन्य कोई व्यवस्था/लेनदेन, विशेषकर जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की हो ।

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

खंड ए के पैरा 1.2 की तरह

1.3 न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर)

भाग ए के पैरा 1.2 के अनुसार 1.3.1 प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों का अंतरण करते समय निम्न सारणी में दिए गए एमआरआर का पालन करना चाहिए:

आस्ति का प्रकार	एमआरआर
24 माह से या उससे कम की	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी

[9] इन दिशानिर्देशों में अंतरण का अर्थ सीधा बिक्री, समनुदेशन और किस और प्रकार से आस्तियों का अंतरण है । अंतरणों के लिए सामान्य शब्द खरीद और बिक्री है ।

[10] 12 महीने की अवधि तक की व्यापार प्राप्य राशियाँ जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने उधारकर्ताओं से डिस्काउंट किया/खरीदा है, प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी । तथापि, केवल वही ऋण/प्राप्य राशियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी जहां बिल के अदाकर्ता ने पिछले दो ऋणों/प्राप्य राशियों को नियत दिन के 180 दिन के भीतर पूरी रकम चुका दी है ।

मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां		प्रवाह से 5% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
i)	24 माह से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां; और	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 10% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
ii)	भाग ख के पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 11 में उल्लिखित ऋण ।	

1.3.2 आस्तियों की आंशिक बिक्री के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 1.3.1 के अनुसार अपेक्षित एमआरआर से अधिक हिस्सा बिक्रेता ने प्रतिधारित किया हो, तब बिक्रेता द्वारा धारित हिस्से से, बेचे गए हिस्से के 5% समान हिस्सा या बेचे गए हिस्से के 10% हिस्सा, जो भी मामला हो, एमआरआर माना जाएगा । तथापि, बिक्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एमआरआर सहित धारित सभी एक्सपोजर बेची गई आस्तियों के हिस्से के समानस्थ होना चाहिए।

1.3.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण अंतरण के मामले में किसी भी प्रकार का साख संवर्धन का प्रस्ताव नहीं देनी चाहिए और नकद प्रवाह के सीधे समनुदेशन द्वारा चलनिधि सुविधाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि, ऐसे मामलों में निवेशक सामान्यतः संस्थागत निवेशक होते है जो आवश्यक पर्याप्त सावधानी के बाद एक्सपोजर को समझने और उसे धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखते है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आई/ओस्टिप में निवेश के माध्यम से भी कोई एक्सपोजर नहीं रखनी चाहिए जो ऋण स्थानांतरण से एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड/फ्युचर मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करती है । तथापि, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऊपर उल्लिखित पैरा 1.3.1 में निहित एमआरआर आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा । पैरा 1.3.1 में उल्लेख किए गए एमआरआर के अनुपालन के लिए अंतरित ऋण में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आंशिक ब्याज के प्रतिधारण को विधिक रूप से वैध कागजातों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम, प्रवर्तक द्वारा निम्न के संबंध में कानूनी मत अभिलेख में रखनी होगीः

ए) प्रवर्तक द्वारा धारित ब्याज राशि की विधिक वैधता

बी) ऐसी व्यवस्था जो समनुदेशित के अधिकारों और प्रतिफल में उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिस सीमा तक उसे अंतरित किया गया है ;

सी) समनुदेशिती को अंतरित ऋणों की सीमा तक ऋण से संबद्ध पुरस्कार या कोई जोखिम न रखने वाला प्रवर्तक

1.3.4 ऋण बेचने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा । दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर निहित दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा एमआर्र नहीं रखा जा सकता।

1.3.5 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में

एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.6 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.4.1 नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान के ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है । प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = पोर्टफोलियो पर हुई हानि (ऋण हानि के लिए प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए विशिष्ट प्रावधान + सीधे बट्टे खाते डाले गए+ यदि कोई और हानि[11] हो, तो) ।

एन = प्रतिभूतीकरण लेनदेन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.4.2 लेखाकंन , आस्तियों का वर्गीकरण और एमआरआर के लिए प्रावधान हेतु नियम

एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगेः

ए) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी जाएगी। ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की अतिदेयता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकती है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की अतिदेय स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

---

[11] प्रतिधारित एक्सपोज़र पर किये जाने वाले विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा प्रत्यक्ष राइट-ऑफ और अन्य हानि, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में नामे किये जाने चाहिए । इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित एमआरआर के अंग के रूप में प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए "अनिर्धारित ऋण अंतरण लेनदेनों पर नकदी लाभ खाते" में शेष राशि को ध्यान में लिये बिना पूंजी रखनी चाहिए । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे वर्तमान अनुदेशों के अनुसार एमआरआर पर अलग से 'मानक आस्ति' प्रावधान रखें किसे 'अनिर्धारण ऋण अंतरण लेनदेनों पर नकदी लाभ खाते' में नामे नहीं किया जाना चाहिए ।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की अतिदेय स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतरित ऋण के लिए समनुदेशीत बैंक /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित ऋणों के अतिदेय स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) और (बी) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा ।

1.5 ऋण प्रवर्तक मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.6 के समान

1.6 ऋण ओरिजिनेशन मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.7 के समान

1.7 ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बेची गई आस्तियों का ट्रीटमेंट

इस पैरा में निहित सभी अनुदेश, पैरा 1.4.2 को छोड़कर , इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद प्रारंभ किए गए लेन देन पर लागू होंगे। पैरा 1.4.2 में निहित अनुदेश वर्तमान और नई लेन देन[12] दोनों पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.6 में निहित अपेक्षाओं के पालन में चूक करती है, तो उसे बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी माने वे अभी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की बहियों में हैं।

2. खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 ऋण की खरीद पर प्रतिबंध

यदि विक्रेता ने खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट एमआरआर का निरंतर आधार पर अनुपालन करने का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है, तो ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बैंक/एफआई/एनबीएफसी से भारत में ऋण खरीद सकते हैं । इसके अतिरिक्त, घरेलू लेनदेनों के लिए, खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक संस्था ने उनके द्वारा खरीदे गए ऋणों के संबंध में एमएचपी मानदण्डों के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है ।

2.2 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.2.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ऋण/ऋण के पोर्टफोलियो की खरीद के पहले उनके लिए पर्याप्त सावधानी हेतु कुशल कर्मचारियों के रूप में आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता और प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

[12] वर्तमान लेनदेनों के लिए पैरा 1.4.2 ऋण संवर्धकों या किसी अन्य प्रकार के प्रतिधारित एक्सपोज़र पर लागू होगा ।

ए) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, समुचित सावधानी की क्रियाविधि के संबंध में नीतियां तैयार करनी चाहिए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में अपेक्षाओं और अंतर्निहित आस्तियों के ऋण गुणवत्ता के संबंध में लागू करना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीतियों को अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता के मूल्यांकन की पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए।

बी) खरीदे गए ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोत से नहीं की जा सकती और उसे अपने अधिकारियों द्वारा उसी कड़ाई से पूरी की जानी चाहिए जैसा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा नये ऋण मंजूर करते समय की जाती है ।

सी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यदि अपने कुछ गतिविधियों जैसे जानकारी और कागज़ात जुटाना आदि, बाह्य स्रोत से करना चाहता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे जाने वाले ऋण के चयन और अपने ग्राहक को जानिए की आवश्यकताओं के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना जारी रखना होगा।

2.2.2 अलग-अलग ऋण या ऋण पोर्टफोलियो खरीदने के पूर्व , और उसके पश्चात जैसा उचित हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सिद्ध करने में सक्षम होनी चाहिए कि खरीदे गए ऋण के जोखिम के प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक और संपूर्ण समझ है और उससे संबंधित औपचारिक नीतियां और पूर्ण पद्धतियां भी लागू की है। उसे निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करना चाहिए :

ए) एमआरआर के संबंध में प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रकटीकरण, निरंतर आधार पर ;

बी) खरीदे गये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

सी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के पोर्टफोलियो अन्तरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा अन्तरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

डी) संबंधित अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में ऋणों/पोर्टफोलियो के पूर्व अन्तरण में प्रवर्तकों का हानि संबंधी अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

ई) अन्तरित एक्सपोजर तथा जहां लागू हो अन्तरित ऋणों का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

एफ) अन्तरित ऋणों के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.3 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने खरीदे गये ऋण पोर्टफोलियो के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी

की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समय पूर्व भुगतान ।

2.4 ऋण निगरानी

2.4.1 यह आवश्यक है कि क्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खरीदे गये ऋण की कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे गये ऋण की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए । यह प्रक्रिया उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी उन ऋणों के पोर्टफोलियो के संबंध में होती है जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने सीधे ओरिजिनेट किया हो। विशेष रूप से ऐसी प्रक्रियाओं से अलग-अलग खातों में समय पर कमजोरी के लक्षण पकड़ने तथा देय होने के बाद 180 दिन बीतते ही भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक उधारकर्ताओं की पहचान करने में आसानी होनी चाहिए। एकत्रित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत,चूक दरें, अवधिपूर्व भुगतान दरें, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके। यदि इस प्रकार की सूचना सीधे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से नहीं ली जाती है और सर्विस एजेंट से ली जाती है, तो वह सर्विसिंग एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ **परिशिष्ट I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4.2 ऋण निगरानी पद्धतियां जिसमें बैंक/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल होगा, जो पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर होगा। खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापनों का सर्विसिंग करार में प्रावधान होना चाहिए। सभी संबंधित जानकारी और लेखा रिपोर्ट खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारिबैं के अधिकारियों को सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.5 सच्ची बिक्री मानदण्ड [13]

2.5.1 बिक्री (इस शब्द में इसके आगे आस्ति की सीधी बिक्री, समनुदेशन और अंतरण का अन्य कोई प्रकार शामिल होगा, किंतु ऋण खातों का उधारकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त अंतरण और बांडों की बिक्री जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं शामिल नहीं होंगे।) के फलस्वरूप 'बिक्री करने वाला बैंक'[14] (इसके आगे इस शब्द में सीधी बिक्री करने वाला बैंक, समनुदेशन करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अन्य प्रणाली के माध्यम से अंतरण करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल होगा) का बेची गई

---

[13] प्रतिभूतीकरण लेनदेन के सच्ची बिक्री मानदंड के लिए कृपया समय समय पर यथा संशोधित प्रतिस्भूतिकरण मानक आस्तियों पर 1 फरवरी 2006 का परिपत्र सं:डीबीओडी.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 का संदर्भ लें।

[14] इस पैरा में 'बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ' शब्द में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण बेचने वाली अन्य वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होंगी।

आस्तियों [15] से तत्काल कानूनी अलगाव होना चाहिए। खरीदार को अंतरित करने के बाद बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियां पूर्ण रूप से अलग होनी चाहिए अर्थात्, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ साथ उसके ऋणदाता की पहुंच से बाहरहोनी चाहिए, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले/ समनुदेशित करनेवाले/ अंतरित करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी ।

2.5.2 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को असरदार तरिके से आस्तियों से संबंधित सभी जोखिम/प्रतिफल और अधिकार/दायित्वों का अंतरण करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के तहत जिन्हें विशेष अनुमति दी गई है, उन्हें छोडकर, बिक्री के बाद आस्तियों में किसी प्रकार के लाभप्रद हितों को धारण नहीं करना चाहिए। खरीदार को गिरवी रखने, बिक्री, अंतरण या अदला बदली या अवरुद्ध करने वाली शर्तों से मुक्त अन्य माध्यमों से आस्तियों का निपटारा करने का निरंकुश अधिकार होना चाहिए। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बिक्री के बाद आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं रखना चाहिए और खरीदार को, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त कारणों को छोडकर, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से व्यय या हानि की पूर्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2.5.3 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर किसी भी समय आस्तियों या उसके किसी अंश या खरीदार द्वारा धारण की हुई स्थानापन्न आस्तियों की पुनः खरीद या निधीयन या अतिरिक्त आस्तियां उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगी, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जो आश्वासनों के भंग होने के कारण या बिक्री के समय किए गए अभिवेदनों के कारण उत्पन्न हुई हों। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि खरीदार को इस आशय की नोटिस दी गई थी और खरीदार ने ऐसे दायित्वों की अनुपस्थिति की प्राप्ति सूचना दी थी।

2.5.4 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने खरीदार को हुई हानि की भरपाई करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं ली और न ही वह बाध्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी तर्कसंगत सावधानियां ली थीं, उसे यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

2.5.5 केवल नकदी के आधार पर ही बिक्री होगी और प्रतिफल आस्तियों के अंतरण के समय तक प्राप्त होना चाहिए। बिक्री प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन समुचित दूरी के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

2.5.6 ऋण बिक्रेता यदि ऋण की सर्विसिंग करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे लेनदेन की 'सच्ची बिक्री' का स्वरूप समाप्त नहीं होता , बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण बिक्री की गई आस्तियों पर अवशिष्ट ऋण जोखिम या ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदात्मक कार्य-निष्पादन जिम्मेदारियों के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं आती ।

2.5.7 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कानूनी परामर्शदाता से राय लेकर अभिलेख में रखना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि (i) आस्तियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ खरीदार को अंतरित किए गए हैं। (ii) बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदार के प्रति ऊपर उल्लिखित पैरा 2.5.6 में दिए गए अनुसार इन आस्तियों के संबंध में सर्विसिंग जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी तरह से

[15] किसी आस्ति के एक अंश की 20 बिक्री के मामले में आस्ति के बेचे गये अंश पर सच्ची बिक्री की मानदंड लागू होगा ।

जिम्मेदार नहीं है (iii) बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऋणदाताओं को इन आस्तियों के संबंध में, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी, कोई अधिकार नहीं होगा ।

2.5.8 खरीदार को आस्तियाँ अंतरण करने के बाद अंतर्निहित संविदा/संविदाओं की शर्तों पर कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना या पुन; समझौता हुआ हो तो वह खरीदार पर बाध्यकारी होगा और एमआरआर की सीमा को छोडकर , बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा ।

2.5.9 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियों के अंतरण के कारण अंतर्निहित संविदा का संचालन करने वाले किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां बाध्यताधारी से (तृतीय पक्ष सहित, जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त करनी चाहिए।

2.5.10 यदि बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिक्री के बाद अलग सेवा संविदा के तहत शुल्क लेकर सेवाएं उपलब्ध कराता है, और उधारकर्ता के भुगतान/ चुकौतियां उसके माध्यम से कराए गए हैं, तो उधारकर्ता से जबतक ये भुगतान प्राप्त न हों तब तक खरीदार को निधि के प्रेषण के लिए बिक्री करने वाला जिम्मेदार नहीं है।

2.6 वारंटी और अभिवेदन

अन्य वित्तीय संस्थाओं को, आस्तियां बिक्री करने वाले प्रवर्तक उन आस्तियों के संबंध में अभिवेदन और वारंटी दे सकता है । जहाँ निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो वहां विक्रेता को ऐसे अभिवेदन और आश्वासनों के लिए पूंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

ए) कोई भी अभिवेदन या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के तहत दिया जाता है ।

बी) विक्रेता कोई भी अभिवेदन या वारंटी देने के या लेने के पहले पर्याप्त उचित सावधानी बरतता है ।

सी) अभिवेदन या वारंटी का संबंध वर्तमान परिस्थिति से है, जिसका आस्तियों की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

डी) अभिवेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं हो सकती और, खासकर, ऋण/अंतर्निहित उधारकर्ता के भावी साख से संबद्ध नहीं है।

ई) अभिवेदन और वारंटी का प्रयोग, जिसमें प्रवर्तक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री की गई आस्तियों के बदले में (या उसके किसी भाग के लिए) अभिवेदन और आश्वासन में दिए गए आधार पर दूसरी आस्ति रखे, निम्नानुसार किया जाना चाहिए :

* आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर : और
* मूल बिक्री के नियमों और शर्तों पर ही संचालित ।

एफ) जिस विक्रेता को अभिवेदन और वारंटी के भंग के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है वह ऐसा तभी करेगा जब क्षतिपूर्ति देने की संविदा निम्न शर्तों को पूरा करती है :

*अभिवेदन और वारंटी का भंग होना सिद्ध करने की जिम्मेदारी हर समय आरोप लगाने वाले पक्ष पर है

*विक्रेता पर भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने लिखित नोटिस जारी किया हो, जिसमें दावे के आधारों को स्पष्ट किया गया हो; और

*भंग के फलस्वरूप हुई सीधी हानि तक ही क्षतिपूर्ति सीमित होती है।

जी) विक्रेता को किसी अन्य वित्तीय संस्था को बेची गई आस्तियों के बदले में आस्ति देने की या अभिवेदन और वारंटी के भंग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घटनाओं के संबंध में भारिबैं (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को सूचित करना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनःखरीद

सीधे समनुदेशन लेनदेन में बिक्रेता द्वारा अंतरित आस्तियों पर प्रभावी नियंत्रण को सीमित करने के उद्देश्य से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अंतरित आस्तियों पर "क्लिन अप-कॉल" के माध्यम सहित कोई पुनःखरीद की संविदा नहीं होनी चाहिए।

2.8 पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेक पूर्ण मानदण्ड की प्रयोज्यता

2.8.1 कार्पोरेट ऋणों की सीधी खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा सीधे प्रवर्तित किए गए ऋणों पर जिस तरह से लागू होता है उसी तरह लागू होगा । प्रतिभूतिकरण के के श्रृंख्ला में निवेश के पूंजी पर्यापता तथा प्रतिभूतिकरण लेनेदेन के लिए अन्य विवेकपूर्ण मानदण्ड को प्रभावित करेगी। बैंक, यदि चाहे तो, खरीदने के पहले ऋणों के समूह की रेटिंग करा सकता है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी समुचित सावधानी के अलावा ऋण समूह की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय पक्ष के दृष्टीकोण को समझ सके। तथापि, इस प्रकार की रेटिंग समुचित सावधानी का विकल्प नहीं बन सकती जिसे खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इस खंड के पैरा 2.2 की शर्तों के तहत पालन करना आवश्यक है ।

2.8.2 खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगें और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है । ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजंटो द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पार्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निरीक्षण अधिकारियों को

खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

2.8.3 खरीदे गए ऋण अधिग्रहण लागत पर माने जाएंगे बशर्ते वे अंकित मूल्य से अधिक नहीं हों। अंकित मूल्य से अधिक होने पर भुगतान किया गया प्रीमियम सीधी रेखा पद्धति से या प्रभावी ब्याज दर पद्धति से, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, परिशोधित होना चाहिए । बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से घटाने की आवश्यता नहीं है। खरीदे गए ऋणों पर छूट /प्रीमियम को पोर्टफोलियो के आधार पर हिसाब में लेना चाहिए या अनुपातिक दर पर वैयक्तिक एक्सपोजरों में विभाजित करना चाहिए।

2.9 उक्त निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने वाले एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट

ऊपर उल्लिखित पैरा 2.1 से 2.8 में निहित अपेक्षाओं को जहाँ पूरा नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार असाइनमेंट एक्सपोजर पर लगायेगा । यद्यपि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गंभीरता से पैरा 2.1 से 2.4 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, इन पैराग्राफों के अनुपालन न करने की स्थिति में 667% का उच्च जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 31 अक्तूबर 2012 के पहले पैरा 2.1 से 2.4 में निहित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और पद्धतियां लागू करनी चाहिए।

भाग सी

प्रतिभूतीकरण गतिविधियां/ एक्सपोजर जिनकी अनुमति नहीं दी गयी है

1. वर्तमान में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित प्रतिभूतीकरण गतिविधियां या प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर्स करने की अनुमति नहीं है ।

1.1 आस्तियों का पुनर्प्रतिभूतिकरण

पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र एक ऐसा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है जिसमें अंतर्निहित एक्सपोजर समूह से संबद्ध जोखिम श्रृंखलाबद्ध है और कम से कम एक अंतर्निहित एक्सपोजर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । इसके अलावा, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों की यह परिभाषा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) पर लागू होगी, उदाहरण के लिए आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित सीडीओ (आरएमबीएस) ।

1.2 संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण

संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण ऐसी संरचना है जिसके साथ जोखिम के कम से कम दो भिन्न स्तरीय पोजीशन होते हैं या ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो ऋण जोखिम की भिन्न दशाएं प्रतिबिंबित करती हैं, जहाँ अंतर्निहित एक्सपोजर का समूह पूर्ण या अंशतः, (अर्थात् क्रेडिट-लिंक्ड नोटस्) या अनिधिक (अर्थात् ऋण चूक स्वैप) क्रेडिट डेरिवेटिव या गारंटियों के माध्यम से अंतरित की जाती हैं जो पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के बचाव का कार्य करती है । तदनुसार, निवेशकों की संभावित हानि अंतर्निहित समूह के कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।

1.3 परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतीकरण (प्रारंभिक परिशोधन विशेषताओं सहित या उसके अतिरिक्त)

इनमें ऐसे एक्सपोजर आते हैं जहाँ उधारकर्ता किसी ऋण व्यवस्था (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि और नकदी ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत तयशुदा समय सीमा के भीतर आहरित राशि और चुकौती राशि में घट-बढ़ कर सकते हैं । विशिष्ट रूप से रिवाल्विंग संरचना में परिशोधित आस्तियां होंगी जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, व्यापार में प्राप्य राशि, बिक्रेता फ्लोअरप्लान ऋण और कुछ पट्टे जो अपरिशोधन संरचना को समर्थन देती हैं, बशर्ते उनको समयपूर्व परिशोधन विशेषताओं के साथ न बनाया गया हो । समयपूर्व परिशोधन का अर्थ प्रतिभूतियों की उनकी सामान्य संविदात्मक परिपक्वता के पहले चुकौती है। समयपूर्व परिशोधन के समय तीन संभावित परिशोधन प्रक्रियाएं हैं ; (i) सीमित परिशोधन (ii) तीव्र या अनियंत्रित परिशोधन (iii) नियंत्रित परिशोधन के बाद अनियंत्रित परिशोधन (नियंत्रित अवधि समाप्त होने के पश्चात)

2. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित लेनदेनों की उपयुक्तता और औचित्य की यथा समय पुनः समीक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट-1

प्रकटीकरण के फार्मेट प्रस्ताव दस्तावेजों की आवश्यकता, सेवा रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट आदि.[16]

प्रतिभूतिकरण लेन देन का नाम /पहचान सं.[17]

	प्रकटी करण का स्वरूप	विवरण			राशि/प्रतिशत/वर्ष
1.	अंतर्निहित आस्तियों की परिपक्वता विशेषताएं(प्रकटीकरण की तारीख को)/	i)	अंतर्निहित आस्तियों के भारित औसत परिपक्वता अवधि (वर्षों में)		
		ii)	अंतर्निहित आस्तियों का परिपक्वता-वार वितरण/		
			ए)	एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			बी)	एक से तीन वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			सी)	तीन से पांच वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			डी)	पांच वर्षों के बाद परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतिकृत आस्तियों का न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)	i)	आरबीआई दिशानिदेशों के तहत आवश्यक एमएचपी (वर्ष / महिने)		
		ii)	ए)	प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि(वर्ष / महिने)	
			बी)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम धारिता अवधि	
3	प्रकटीकरण की तारीख को न्यूनतम धारिता आवश्यकता (एमआरआर)	i)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का आरबीआई दिशानिदेशों के तहत एमआरआर का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया।		

[16] यह परिशिष्ठ ऋण के सीधे अंतरण को भी लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए शब्द 'प्रतिभूतिकृत आस्तियां'/'आस्तियां प्रभूतिकृत' का अर्थ 'सीधे अंतरित ऋण/'सौंपागया' किया जा सकता है।गैर बैंकिंग वितीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण और सीधे अंतरण के संबंध में प्रकटीकरण/रिपोर्ट अलग से करना चाहिए।

[17] यह प्रकटीकरण हर एक प्रतिभूतिकरण सौदे के लिए, सौदे के जीवन भर के लिए, अलग से होना चाहिए।

		ii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का वास्तविक प्रतिधारण और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया		
		iii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य में एमआरआर का गठन करने वाली धारित जोखिमों के प्रकार (प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया)[18]		
			ए)	ऋण वृद्धि (अर्थात क्या शेयरों में निवेश/गौण श्रृंखला , प्रथम/दूसरी हानी गारंटी, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण में निवेश हैं।)	
			बी)	वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश	
			सी)	चलनिधि आधार	
			डी)	अन्य कोई (कृपय उल्लेख करें	
		iv)	भंग, कोई हो तो, और उसके कारण		
4	अंतर्निहित ऋणों की ऋण गुणवत्ता	i)	अतिदेय ऋणों का वितरण		
			ए)	30 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	31 से 60 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	61 से 90 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			डी)	90 और 120 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			ई)	120 और 180 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			ऊ)/f)	180 दिनों से अधिक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
		ii)	अंतर्निहित ऋणों के निवेश खाते के लिए उपलब्ध मूर्त जमानत का विवरण (वाहन, बंधक आदि.)		
			ए)	प्रतिभूति 1(नाम देने का) (% रक्षित	

				ऋण)	
			बी)	प्रतिभूति 2	
			सी)	प्रतिभूति 'एन'	
		iii)	अंतर्निहित ऋणो के लिए उपलब्ध सुरक्षा कवच की व्याप्ति		
			ए)	समूह में शामिल पूरीतरह से जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	समूह में शामिल अंशत: जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	समूह में शामिल पूरीतरह से गैरजमानती ऋणों का प्रतिशत	
		iv)	रेटिंग वार अंतर्निहित ऋणॉं का वितरण (यदि यह ऋण रेटेड हैं)		
			ए)	एनबीएफसी की आंतरिक श्रेणी/ बाह्य श्रेणी (आंतरिक ग्रेड का सर्वोच्च श्रेणी का 1 के रूप में उल्लेख कर सकते हैं)	
				1/एएए या समकक्ष	
				2	
				3	
				4.....	
				एन	
			बी)	समूह की भारित औसतन रेटिंग/	
		v)	अतीत में देखा गया समान निवेश खातों में चूक का दर		
			ए)	पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
			बी)	पिछले वर्ष के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
		vi)	समरूप पोर्ट फोलियों वालों का अपग्रेडेशन /वसूली/ हानी दर		
			ए)	उन्नत एनपीए का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	

			बी)	वर्ष के प्रारंभ में एनपीए की बट्टेखाते डाली गई राशि का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			सी)	वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए की वसूली गई राशि(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		vii)	एलटीवी अनुपात के वितरण की आवृति , आवसीय ऋण के मामले में और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण)		
			ए)	एलटीवी अनुपात से 60% से कम ऋण का प्रतिशत	
			बी)	एलटीवी अनुपात से 60 से 70% के बीच ऋण का प्रतिशत	
			सी)	एलटीवी अनुपात से 75% से अधिक ऋण का प्रतिशत	
			डी)	अंतर्निहित ऋणों के एलटीवी अनुपात का भारित औसत(%)	
5	ऋण समूह की अन्य विशेषताएं	i)	मिश्र समुहों के मामलों में ऋणों का उद्योगवार अलग अलग विवरण(%)		
			उद्योग 1		
			उद्योग 2		
			उद्योग 3....		
			उद्योग एन		
		ii)	ऋण समुहों का भौगोलिक वितरण (राज्यवार) (%)		
			राज्य 1		
			राज्य 2		
			राज्य 3		
			राज्य 4		